

कार्यालय वन वृत्त, खण्डवा (क्षेत्रीय) मध्य प्रदेश

सिविल लाईन्स, खण्डवा : 450001 (म.प्र.)

☎: 0733-2224120, Fax:- 0733-2225282, Email-ccf.khd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2023/

1991

खण्डवा, दिनांक 09-3-2023

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल खरगोन

विषय :- 11 के.व्ही. विद्युत लाईन में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य करने की स्वीकृति बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2023/2029, दिनांक 03.03.2023

—00—

उपरोक्त विषयांक में लेख है, कि से सामान्य वनमण्डल खरगोन के वनक्षेत्रों में प्रस्तावित 11 के.व्ही. विद्युत लाइनों के 03 प्रस्ताव ऑनलाईन एवं हार्ड कापी में अनुशांसा सहित अनुमोदन हेतु कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं। जिनका परीक्षण करने पर निम्नानुसार त्रुटियों/कमियां पाई गयी हैं।

विद्युत लाईन विस्तार कार्य के 03 प्रस्ताव एक ही पत्र क्रमांक द्वारा भेजे गये हैं जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु 03 अलग-अलग योजना प्रेषित की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 11 के.व्ही. विद्युत लाईन के विस्तार कार्य की स्वीकृति के 03 प्रस्ताव हेतु अलग-अलग पत्रों से इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

मुख्य वन संरक्षक
खण्डवा वृत्त खण्डवा
07/03/23